कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक,कुशीनगर

पत्रांक–आर0एम0एस0ए0 / 3441–54 /2017–18 दिनांक 26-08-2017

विज्ञप्ति

अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ के शासनादेश संख्या 1218 / 15–2–17–1072 /2017 दिनांक 2–08–2017 के कम में जनपद में संचालित राजकीय इण्टर कालेजों एवं राजकीय हाईस्कूलों (बालक / बालिका) में स0अ0(एल0टी0श्रेणी) के रिक्त पदो के सापेक्ष बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षकों में से अर्हताधारी शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर तथा राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सेवानिवृत्त सहायक अध्यापकों / प्रवक्ताओं को मानदेय पर इच्छुक अभ्यर्थियो से आवेदन पत्र आमंन्त्रित किये जाते है।

प्रतिनियुक्ति हेतु अर्हता –

1. बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से चयनित एवं कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता, राजकीय माध्यमिक विद्यालय के स0अ0(एल0टी0श्रेणी) / प्रवक्ता पद की शैक्षिक अर्हता में समान हो।
2. विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से चयनित एवं कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका के अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत अन्य शिक्षक / शिक्षिका जो स0अ0 (एल0टी0श्रेणी) पद की शैक्षिक अर्हता के समान शैक्षिक अर्हता रखते है एवं वे प्रतिनियुक्ति पर आने के इच्छुक हो।
3. इच्छुक एवं अर्ह बेसिक शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित करवाना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र पंजीकृत डाक अथवा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय (जिला विद्यालय निरीक्षक कुशीनगर) में सीधे दिनांक 06.09.2017 की सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किये जायेगे। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवदेन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्राप्त आवेदन पत्रों में अर्ह अभ्यर्थियो का **साक्षात्कार** दिनांक 11.09.2017 को प्रातः 10.00 बजे से राजकीय बालिका इण्टर कालेज पडरौना कुशीनगर में विज्ञान, गणित, अग्रेजी, हिन्दी, सा0विज्ञान विषयो का होगा तथा दिनांक 12.09.2017 को शेष सभी विषयो का साक्षात्कार प्रातः 10.00 बजे से किया जायेगा। विद्यालयों में जनपद स्तर पर रिक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है–

क0स0	विषय का नाम	रिक्त पदो की संख्या
1	हिन्दी	14
2	अग्रेजी	13
3	गणित / विज्ञान	09
4	सामाजिक विज्ञान	18
5	संस्कृत	11
6	कला	10
7	जीव विज्ञान	14
8	व्यायाम	01
9	संगीत	01
10	गृह विज्ञान	08
11	उर्दू	01
	योग	100

नोट – राजकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सेवा निवृत्त स0अ0 / प्रवक्ता भी अपने विषय के अनुसार आवेदन कर सकते है।

चयन साक्षात्कार के आधार पर प्रथमतः बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापको का चयन किया जायेगा, पद रिक्त रहने या होने की दशा में सेवानिवृत्त अध्यापकों का चयन किया जायेगा।

प्रतिनियुक्ति / मानदेय की शर्ते–

1. प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले सहायक अध्यापक की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 31.03.2019 अथवा रिक्त पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो तक ही होगी।

(क्रमशः पेज नं0.....2)

2. सेवानिवृत्त शिक्षक / शिक्षिका की सेवा अवधि दिनांक 31.03.2018 तक अथवा रिक्त पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो तक ही होगी।
3. सेवा निवृत्त शिक्षको की अधिकतक आयु 65 वर्ष तथा उन्हें स्वस्थता प्रमाण –पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
4. सेवा निवृत्त शिक्षको को मानदेय के रूप में वह नियत धनराशि अनुमन्य होगी जो सम्बन्धित शिक्षक के अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व, यदि कोई हो घटाने के फलस्वरूप आये)।
5. प्रतिनियुक्ति तथा उपरोक्त सेवा निवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति नितान्त अस्थायी प्रकृति की होगी तथा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
6. प्रतिनियुक्ति /सेवानिवृत्त चयनित शिक्षको की नियुक्ति प्रथम चरण में माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षक / शिक्षिका के लिए स्थानान्तरण / समायोजन नीति 2017 सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 29.06.2017 में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयो में रिक्त पद के प्रति की जायेगी।
7. प्रतिनियुक्ति पर आये परिषदीय विद्यालयों के अध्यापको को उनके द्वारा प्राप्त समान वेतन दिया जायेगा प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात सम्बन्धित शिक्षकों को मूल विभाग में वापस कर दिया जायेगा तथा उनकी तैनाती के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अपने स्तर से निर्णय लिया जायेगा।
8. प्रतिनियुक्ति पर आये अध्यापकों को उनके द्वारा प्राप्त समान वेतन दिया जायेगा।
9. प्रतिनियुक्ति पर आये शिक्षको को प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।
10. प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने वाले कर्मियो द्वारा भविष्य में संविलियन की मांग नहीं की जायेगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने से पूर्व सम्बन्धित कार्मिक के द्वारा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
11. परिषदीय विद्यालय में मौलिक रूप से कार्यरत ऐसे अध्यापको को इस शर्त के साथ प्रतिनियुक्ति दी जायेगी की परिषदीय अध्यापक का धारणाधिकार प्रतिनियुक्ति से वापस जाने पर अपने मौलिक रूप से नियुक्ति तैनाती के जनपद एवं उनके मूल पद के सापेक्ष रहेगा।

प्रतिनियुक्ति / मानदेय के आधार पर शिक्षको की तैनानी के आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदित पद का नाम (विषय सहित)..
2. अभ्यर्थी का नाम ....
3. पिता / पति का नाम..
4. जन्म तिथि ....आयु वर्ष में ....
5. स्थायी पता ....
6. पत्र व्यवहार का पता..
7. ई–मेल आई0डी0..
8. दूरभाष एवं मोबाइल नम्बर..

शैक्षिक योग्यता का विवरण

परीक्षा का नाम	वर्ष	समस्त विषय	बोर्ड / संस्था	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
हाईस्कूल						
इण्टरमीडिएट						
स्नातक						
परास्नातक						
बी0एड0						
अन्य						

(क्रमशः पेज नं0.....3)

मै घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी समस्त उपरोक्त सूचनाये सही है, मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा दी गयी सूचनाये गलत पायी जाती है तो मेरा चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर..............................

दिनांक –

अभ्यर्थी का पूरा नाम..............................

(उदय प्रकाश मिश्र)
जिला विद्यालय निरीक्षक
कुशीनगर।

पृं0सं0 विज्ञप्ति/ /2017–18 दिनांक – तैदव

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी महोदय कुशीनगर ।
2. शिक्षा निदेशक माध्यमिक उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर शिक्षा निदेशक (मा0/बेसिक) उ0प्र0 ,इलाहाबाद।
4. मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी कुशीनगर ।
5. अपर जिलाधिकारी (न्याय)/नामित अधिकारी/ अध्यक्ष चयन समिति कुशीनगर ।
6. संयुक्त शिक्षा निदेशक (मा0) सप्तम मण्डल गोरखपुर।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कुशीनगर ।
8. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर को इच्छुक योग्य अध्यापकों को आवेदन अग्रसारित करने हेतु।
9. समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय को इस आशय से कि नियुक्ति का व्यापक प्रचार प्रसार अपने स्तर से किया जाना सुनिश्चित करेगे।
10. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक/राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियो के संज्ञानार्थ तथा व्यापक प्रचार –प्रसार हेतु। एन॰आई॰ को प्रेषित
11. जिला सूचना अधिकारी कुशीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे जनपद के समस्त सम्मानित दैनिक समाचार पत्रों में उक्त विज्ञप्ति जनहित में व्यापक प्रचार –प्रसार हेतु <u>निःशुल्क</u> प्रकाशित कराने का कष्ट करे।
12. जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी/ कोषाधिकारी/ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ समसत खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
13. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
14. गार्ड फाइल।

जिला विद्यालय निरीक्षक
कुशीनगर।